भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 715

जिसका उत्तर 26 जून, 2019 को दिया जाना है।

5 आषाढ़, 1941 (शक)

एम-आधार

715. श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन शुक्ला :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यात्रियों के लिए एम-आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग करने का कोई प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पद्धति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : एम-आधार यूआईडीएआई द्वार विकसित किया गया एक सुरक्षित मोबाइल अनुप्रयोग है, जिसका प्रयोग करते हुए कोई भी आधार संख्या धारक अपने मोबाइल में डिजिटल फॉर्मेट में अपना आधार डाउनलोड कर सकता/सकती है। तथापि, यात्रियों के लिए पहचान पत्र दस्तावेज (आईडी कार्ड) के रूप में एम-आधार के प्रयोग का निर्णय संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लिया जाता है।

(ख) : यूआईडीएआई से प्राप्त सूचना के अनुसार यात्रियों की पहचान के साक्ष्य के रूप में एम-आधार की स्वीकृति के संबंध में रेल मंत्रालय ने वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 2017 का 62 दिनांक 08.09.2017 को जारी किया है (प्रतिलिपि http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2017/62_2017_R.pdf पर उपलब्ध है) और नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 26.10.2017 को एवीएसईसी परिपत्र संख्या 15/17 जारी किया है (प्रतिलिपि http://www.bcasindia.nic.in/law/AC%2015%2017%listofidproof.pdf पर उपलब्ध है)।

****